तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
3.3.23	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषकगणों द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित रखा। पत्रावली वास्ते साक्ष्य कार्यवाही दिनांक 20.3.23 को पेश हो।
20.3.23	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषकगणों द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित रखा। पत्रावली वास्ते साक्ष्य कार्यवाही दिनांक 27.3.23 को पेश हो।
27.3.23	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप० हैं। बहस वाद पत्र में वकील वादी द्वारा एकतरफा बहस में किये गए तर्कों पर मनन किया। वकील वादी ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि विवादित भूमि खसरा नं. 101/10-13, 139/4-00, 140/6-04 वाके ग्राम भवानीपुरा पटवार मण्डल गुढाडेवजी तहसील नैनवां भूमियों का वादीगण को खातेदार कृषक घोषित कर जमाबंदी से कस्तुरा पि० मोती का हिस्सा 1/2 का नाम विलोपित किया जाकर तदनुसार जमाबंदी व अन्य भू-राजस्व अभिलेखों में आवश्यक संशोधन किया जावे एवं प्रतिवादी सं. 1 के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाकर वादीगण के [illegible] में कोई हस्तक्षेप [illegible] पाबंद किया जावे।
	प्रतिवादी सं. 1 ने अपने जवाब दावा मे इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.07.03 13:25:05 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

वादीगण का वाद मुताबिक याचना डिक्री फरमाने हेतु निवेदन किया है। वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में कमलेश आ० बजरंगलाल धाकड़ PW1, गवाह साक्ष्यवादी कमलेश आ० जगदीश धाकड़ PW2, तथा अशोक आ० फौजीलाल जाति धाकड़ PW3 के बयानों के शपथ पत्र पेश किये।

हमने वाद पत्र, प्रस्तुत रिकार्ड, बयान गवाह, शपथ-पत्र आदि का अवलोकन किया। जमाबंदी का अवलोकन करने से जाहिर होता है कि वादीगण ने भंवरी बाई, उर्मिला बाई, निर्मला बाई जो कि आवश्यक पक्षकार है, को पक्षकार नही बनाया है। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत किया गया है तथा प्रतिवादी सं. 1 द्वारा वादीगण के भूमि में अनुचित हस्तक्षेप किये जाने के सम्बन्ध में वादीगण ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किये गए। अतः प्रस्तुत वाद महज नामान्तरण के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया जाना प्रतीत होता है। वादीगण नामान्तकरण के सम्बन्ध में सीधे ही तहसीलदार नैनवां को निर्धारित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त कर सकते है। न्यायालय इस वाद को सारहीन होने से खारिज किया जाना उचित समझता है। अतः वाद सारहीन होने से खारिज किया जाता है। डिक्री पर्ची मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.07.03 13:25:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)